संख्या-27/2025/I/998553/2025/001-71-4099-67-2021

प्रेषक

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनॉक 19 जून, 2025

विषयः-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुदान संख्या-31 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 करोड़ के सापेक्ष धनाशि रू0 08.54 करोड़ (आठ करोड चौंवन लाख) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी.आई.एम.एस./2024/1012, दिनांक-14.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 करोड़ के सापेक्ष धनाशि रू0 08.54 करोड़ के उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए रू0 08.54 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 करोड़ के सापेक्ष धनाशि रू0 08.54 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए (उपकरणों की अनुमोदित सूची संलग्न) धनाशि रू0 08.54 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैंः-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित निदेशक की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित निदेशक का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सूची में अनुमोदित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
9. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
10. उपकरणों के कय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
11. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
12. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,54,00,000 (रुपये आठ करोड़ चौवन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051400 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज
5. कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. नोडल अधिकारी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-27/2025/I/998553/2025/001-71-4099-67-2021, दिनांक-19 जून, 2025 का संलग्नक

उपकरणों की सूची

रम संख्या	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य प्रति नग (05 वर्ष वारंटी के साथ) (In Lakh)	कुल अनुमानित मूल्य (05 वर्ष वारंटी के साथ) (In Lakh)	OEM उपलब्ध है या नहीं।
1	Anesthesia	ICU ventilator	3	38	114	Yes
2	Anesthesia	Adult BLS manikin	10	1	10	Yes
3	BB	Blood Collection monitor- Mixer	2	2	4	Yes
4	BB	Vertical autoclave	1	5	5	Yes
5	Dentistry	Cutting Drill	1	12	12	Yes
6	ENT	Endoscopic Sinus Surgery Sets	1	15	15	Yes
7	Medicine	Holter for monitoring with recording system	1	18	18	Yes
8	OBG	Patient Warming System	4	3	12	Yes
9	OBG	NST_CTG Fetal Monitor	2	2	4	Yes
10	OBG	Surgeon Chair	4	2	8	Yes
11	Ophthalmology	Ophthalmic Operating Microscope	01	125	125	Yes
12	Ophthalmology	Cataract surgery set (titanium)	2	1	2	Yes
13	Pathology	Fully automated Liquid Based cytology system	1	160	160	Yes
14	Surgery	Semirigid Ureterorenoscope 6/7.5 Fr	1	4.5	4.5	Yes
15	Surgery	Semirigid Ureterorenoscope 8/9.8 Fr	1	4.5	4.5	Yes

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

16	Surgery	Nephoscope	1	5.5	5.5	Yes
17	Surgery	Monopolar resectoscope	1	5	5	Yes
18	Surgery	High end 4K laparoscopic system with ICG-NIR	1	99	99	Yes
19	Surgery / Ortho	Mobile C- Arm Machine	2	40	80	Yes
20	IT	LCD Projector	10	0.9	9	Yes
21	IT	Laser Printer	20	0.15	3	Yes
	IT	Podium	5	3	15	Yes
23	IT	Multi-function printer	1	6	6	Yes
24	IT	All in one	30	1	30	Yes
25	Hospital	Rack	100	0.18	18	Yes
26	Hospital	Window AC 1.5 Ton	10	0.5	5	Yes
27	Hospital	Almirah	100	0.35	35	Yes
28	Hospital	Visitor Chair	50	0.2	10	Yes
29	Hospital	Blood pressure apparatus	50	0.05	2.5	Yes
30	Hospital	OT lights	5	0.4	2	Yes
31	Hospital	Crash cart	4	0.5	2	Yes
32	Hospital	Digital BMI	4	1	4	Yes
33	Hospital	Interactive Panel	5	5	25	Yes
Total					854	

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।